न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 70 / 2023

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 रामचन्द्र पुत्र दयालराम जाति जाट निवासी जनाणा 2 रामप्रकाश पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी जनाणा तहसील मुण्डवा जिला नागौर।		1 नरपतराम पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी जनाणा तहसील मुण्डवा जिला नागौर। 2 ग्राम पंचायत जनाणा जरिये ग्रामसेवक पदेन सचिव, ग्राम पंचायत जनाणा पंचायत समिति मुण्डवा तहसील मुण्डवा जिला नागौर। 3 ग्राम पंचायत जनाणा जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत जनाणा पंचायत समिति मुण्डवा तहसील मुण्डवा जिला नागौर।

उपस्थिति–

1 श्री मुकेश चौधरी अधिवक्ता, प्रार्थीगण की ओर से।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994

निर्णय

दिनांक 20.01.2025

1– यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जनाणा द्वारा पट्टा संख्या 96 बुक नम्बर 31 दिनांक 22.05.2018 से असंतुष्ट होकर दिनांक 21.11.23 प्रस्तुत की गई। प्रार्थीगण की निगरानी दिनांक 28.11.2023 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से 03 बावजूद सूचना के न्यायालय मे अनुपस्थित रहे। प्रार्थीगण ने अपनी निगरानी के समर्थन में पटटा पंजीयन दिनांक 07.06.2018 की फोटोप्रति, पंचायत समिति मुण्डवा की रिपोर्ट दिनांक 29.03.2023 की फोटाप्रेति, पट्टा संख्या 97 की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत जनाणा की रिपोर्ट दिनांक 09.11.22 की फोटोप्रति, राजस्थान सम्पर्क पोर्टल में प्रस्तुत आवेदन के रसीद की फोटोप्रति, फोटोग्राफ–6 की प्रति पेश की गई। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का रेकर्ड मंगाया गया।

2– वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी है कि –

2(1)–पट्टा जेर निगरानी विधि व तथ्यो के विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य है।

2(2)–पट्टा जेर निगरानी पंचायत एक्ट व पंचायत राज नियम 1996 के कायदो की अवहेलना करते हुए जारी किया गया हैं, जो विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य है।

2(3)–आबादी भूमि जिसमें मकान बना हुआ नहीं हैं, का अंतरण नीलामी के जरिये किया जाने का राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 का नियम 143 के अनुसार किया जाता है तथा जो व्यक्ति खरीदने का विचार रखता हैं, उसको आवेदन पत्र मय नक्शा 25 रूपये निरीक्षण के पंचायत में पेश करना होता है। हस्तगत प्रकरण में सार्वजनिक रास्ते की भूमि पर किसी तरह का कोई निर्माण अप्रार्थी संख्या 1 का वक्त आवेदन पटटा का करने व पटटा जारी करते वक्त भी नहीं था। पटटा पत्रावली के साथ जो नक्शा पेश किया गया हैं, उससे उत्तरी तरफ जो चबूतरी बतलाई गई हैं, उसको शामिल करते हुए यानि अधिक क्षेत्रफल का पटटा, रास्ते की भूमि का पट्टा, रास्ता को संकडा करने के दुराशय से मिलावटी तौर पर जारी करवा लिया। वास्तव में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उक्त भूमि का पंचो की कमेटी द्वारा निरीक्षण किया जाकर सम्पूर्ण विवरण सहित राय पंचायत के समक्ष पेश किया जाना वांछित होता हैं, उसके बाद पंचायत अपनी बैठक में यह तय करती है कि उक्त जमीन विक्रय की जावे या नहीं। यदि पंचायत की बैठक में यह तय होता है कि उक्त जमीन विक्रय किया जावे तो आम जनता से एक माह में आपतियां आहूत करने के लिए नोटिस जारी किया जाकर आपतियां का निस्तारण कर नीलामी की तारीख तय कर नीलामी का समय तारीख स्थान कर डूडी पिटवाकर नीलामी की नोटिस की सूचना देकर नीलामी की जावेगी। ऐसी कोई कार्यवाही पटटा जेर निगरानी जारी करने से पूर्व नहीं की गई हैं, ऐसी दशा में पटटा जेर निगरानी विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य है।

20/1/25

अपर कलक्टर, नागौर

2(4)–कमजोर वर्गो के लिए आबादी भूमि आवंटन का भी राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 में प्रावधान हैं, जिसमें अधिकतम 150 वर्गगत तक ही भूमि अंवटित की जा सकेगी एवं 1000 से कैम आबादी वाले गांव में 2 रूपया प्रतिमीटर 1000 से 2000 तक आबादी वाले गांव में 5 रूपया प्रति मीटर, 2000 से अधिक आबादी वाले गांव में 10 रूपया प्रति वर्गमीटर की दर से भूमि देने का प्रावधान है। परन्तु पटटा जेर निगरानी जारी करने के क्रम में ऐसी कोई राशि क्रेता/आवंटी से प्राप्त नहीं की गई हैं, ऐसी दशा में पटटा जेर निगरानी विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य है।

2(5)–निःशुल्क आवंटन का अधिकार मात्र राज्य सरकार में निहित करता हैं, वो भी कुछ श्रेणी के लोगों को निःशुल्क आंवटन का उल्लेख किया गया है। ग्राम पंचायत के पास निःशुल्क आवंटन का उल्लेख किया गया है। ग्राम पंचायत के पास निःशुल्क आवंटन या पटटा के जरिये अंतरण का अधिकार पंचायत एक्ट या पंचायत नियमों में नहीं हैं, ऐसी दशा में पटटा जेर निगरानी ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण रूप से विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य है।

2(6)–ग्राम पंचायत निःशुल्क आवंटन या पटटा के जरिये आबादी भूमि अंतरण का अधिकार नहीं रखती है। कमजोर वर्गो को 150 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल की भूमि ग्राम पंचायत रियासती दरों पर आवंटन नहीं कर सकती। पटटा जेर निगरानी 194.55 वर्गगज का हैं, जो बिना क्षेत्राधिकार के होने से अपास्त होने योग्य है।

2(7)–आबादी भूमि का विक्रय या आवंटन के लिए ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्ताव लेने के बाद ही भूमि का आंवटन या पटटा नियमों के अनुसार नीलामी या रियासती दर से दिया जाना वांछित होता है। पटटा जेर निगरानी के बाबत पंचायत की बैठक में कोई प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा नहीं लिया गया, न ही मौका देखने की रिपोर्ट है। न ही मौका रिपोर्ट के बाद पंचायत द्वारा वादग्रस्त पटटे वाली भूमि विक्रय या आवंटन करने बाबत कोई प्रस्ताव या स्वीकृति भी नहीं हैं, ऐसी दशा में पटटा जेर निगरानी ग्राम पंचायत द्वारा जारी पटटे की तारीफ में नहीं हैं, कागजी व फर्जी मात्र जारी किया हैं, जो पूर्ण रूप से विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य है।

2(8)–कार्यालय पंचायत समिति मुण्डवा जिला नागौर द्वारा दिनांक 29.03.2023 को मौका निरीक्षण तथ्यात्मक विवरण में ग्राम पंचायत जनाणा द्वारा जारी पटटा के संबंध में अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट में यह बताया है कि मौके की स्थिति एवं पटटे में जो नाप चौप दिया गया हैं, उसमें भिन्नता है। इस संबंध में शिकायतकर्ता नियमानुसर विधिक कार्यवाही करने हेतु स्वंतत्र है। इस रिपोर्ट से जाहिर होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी पटटे में एवं मौके की स्थिति दोनों में भिन्नता है। ग्राम पंचायत के द्वारा जारी पटटा बिना मौका देखे ही जारी किया गया है।

3– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत जनाणा द्वारा पट्टा संख्या 96 बुक नम्बर 31 दिनांक 22.05.2018, को निरस्त किये जाने को लेकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। पंचायत समिति मूण्डवा के मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 29.03.2023 एवं पट्टे के नक्शे का अवलोकन करते से प्रतीत होता है कि उक्त पट्टा संख्या 96 का मौके पर नाप भिन्न है। जिससे ज्ञात होता है कि ग्राम पंचायत ने पट्टा बनाते समय मौके पर जाकर नाप–चौप नहीं किया है। ग्राम पंचायत का दायित्व था कि पट्टा बनाते समय मौके पर जाकर नाप–चौप लेकर पट्टा बनाते। ऐसी स्थिति में आदेश जैर निगरानी में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

4– उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण पुनः ग्राम पंचायत जनाणा, पंचायत समिति, मूण्डवा को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि ग्राम पंचायत जनाणा द्वारा पट्टा संख्या 96 बुक नम्बर 31 दिनांक 22.05.2018 अप्रार्थी सं. 1 नरपतराम के पक्ष में जारी किया गया, के संबंध मे उपरोक्त ऑब्जरवेशन को ध्यान मे रखते हुए मौके की स्थिति रिकार्ड पर लेवे तथा दोनो पक्षों को सुनवाई, सबूत आदि का अवसर देते हुए गुणावगुण पर आदेश पारित करे।

5– निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/1/25

(चम्पालाल जीनगर)
अपर जिला कलक्टर,
नागौर
अपर कलक्टर, नागौर